Annexure

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

OF THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDIA

AND

THE MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT

OF THE GOVERNMENT OF THE

REPUBLIC OF FIJI

ON

CO-OPERATION IN THE FIELD OF RENEWABLE ENERGY

The Ministry of New and Renewable Energy of the Government of the Republic of India and the Ministry of Infrastructure and Transport, Government of the Republic of Fiji
(herein after referred to as the "Parties" and individually as the "Party").

Having identified New and Renewable Energy as a common area of interest; and

Desiring to establish Cooperation between the organizations working in the area of new and renewable energy in both India and Fiji with the aim of developing New and Renewable Energy Technologies.

HAVE REACHED THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

ARTICLE I
OBJECTIVE

The objective of this Memorandum of Understanding (MoU) is to establish the basis for a cooperative institutional relationship to encourage and promote bilateral technical cooperation on new and renewable energy on the basis of mutual benefit, equality and reciprocity between the Parties.

ARTICLE II
AREAS OF COOPERATION

The Parties will, subject to the laws, rules, regulations and national policies from time to time in force, governing the subject matter in their respective countries, endeavour to take necessary steps and promote cooperation in renewable energy. The areas of cooperation will focus on development of new and renewable energy technologies and institutions in:-

a) Capacity building
b) Solar Energy
c) Biomass/Bio-energy
d) Small Hydro Energy

ARTICLE III
MODALITIES OF COOPERATION

Cooperation under this Memorandum of Understanding may take the following modalities:

a) Exchange and training of scientific and technical personnel;
b) Exchange of scientific and technological information and data;
c) Organization of workshops, seminars and working groups;
d) Transfer of equipment, know-how and technology on non-commercial basis;
e) Development of joint research or technical projects on subjects of mutual interest; and
f) Other modalities as may be decided upon by the Parties.

ARTICLE IV
JOINT WORKING GROUP

In order to coordinate the above mentioned activities and decide upon project proposals related to design and development of various new and renewable energy technologies, the Parties will establish a "Joint Working Group"(JWG) with the following functions:-

a) Identifying areas of mutual interest and cooperation for development of new and renewable energy technologies, systems sub-systems, devices, components etc.;
b) Monitoring and evaluating cooperation activities; and
c) Any other activity as may be agreed upon by the Parties in writing.

The Parties will designate one main representative each to the Joint Working Group for the aforesaid activities. The Joint Working Group will to the extent possible conduct the work through electronic communication, but meet alternately in India and Fiji whenever considered necessary.

The Joint Working Group can co-opt other members from scientific institutions, research centres, universities or any other entity and when considered essential.

ARTICLE V

FINACING

Each Party will bear all the costs of its own in all programmes of cooperation and in the meetings of implementing agencies of Joint Working Group contemplated under this MoU.

ARTICLE VI
SETTLEMENT OF DISPUTES

Any dispute concerning the interpretation or application of this MoU shall be settled amicably through mutual consultation and/or negotiations between the Parties.

ARTICLE VII
AMENDMENTS

The Memorandum of Understanding can be amended, revised or modified by mutual decision of the Parties through exchange of letters between the Parties.

ARTICLE VIII
COOPERATION UNDER ISA

Recalling the promotion of clean energy and enhancing energy access common goals of both the countries and support the International Solar Alliance (ISA) launched on 30th November, 2015 on the sidelines of 20th Conference of Parties to the United Nations Framework Conference on Climate Change held in Paris, France.

Both Fiji and India will together to achieve ISA objectives for accelerated development and deployment of solar energy by facilitating availability of technologies, finance, research and development and capacity building, and also put joint efforts to make ISA a strong intergovernmental organization.

ARTICLE IX
ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION

This MoU shall enter into force on the date of its signing and shall remain in force for a period of five (5) years. Thereafter this Memorandum of Understanding will be renewable by the mutual written consent of the Parties, unless either of the Parties decides to terminate the same. Such decisions will be communicated in writing to the other Party at least three (3) months prior its intended date of termination. The termination of this MoU will not affect the validity and duration of any on-going programme and projects under this MoU.

IN WITNESS THEREOF, the undersigned being duly authorized thereto bytheir respective Governments, have signed this Memorandum of Understanding.

This Memorandum of Understanding is not legally binding and does not create any rights or obligations for the Parties under international law.

Signed at Suva, Fiji on this day 24th May of the year 2017 in two (2) originals, each in Hindi and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of India

Gen. (Dr.) V.K. Singh (Retd.)

Minister of State for External Affairs

For the Government of the Republic of Fiji

Mr. Aiyaz Sayed-Khaiyum

Acting Prime Minister and Attorney-General and Minister for Economy, Public Enterprises, Civil Service & Communications

भारत गणराज्य की सरकार के
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
और
फिजी गणराज्य की सरकार के
अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय
के बीच
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग
पर
समझौता ज्ञापन

भारत गणराज्य का नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और फिजी गणराज्य की सरकार के अवसंरचना और परिवहन मंत्रालय (जिन्हें इसके पश्चात् "पक्षो" और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" कहा गया है) नवीन और अक्षय ऊर्जा की पहचान समान हित के क्षेत्र रूप में करते हुए; और नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उत्तर से भारत और फिजी, दोनों देशों में नवीन और अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में कार्यरत संगठनों के बीच सहयोग स्थापित करने की इच्छा व्यक्त करते हुए निम्नलिखित पर सहमत हुए हैं :

अनुच्छेद-।
<u>उद्देश्य</u>

इस समझौता ज्ञापन (एमओयू) का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच परस्पर हित, समानता और पारस्परिकता के आधार पर नवीन और अक्षय ऊर्जा पर द्विपक्षीय तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के लिए एक सहयोगी संस्थागत संबंध हेतु आधार की स्थापना करना है।

अनुच्छेद-।।
<u>सहयोग के क्षेत्र</u>

पक्षों द्वारा अपने संबंधित देशों में इस विषय-वस्तु से संबंधित समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों और राष्ट्रीय नीतियों के अध्यधीन आवश्यक कदम उठाए जाने के प्रयास किए जाएंगे और अक्षय ऊर्जा में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। सहयोग के क्षेत्रों द्वारा नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों एवं संस्थानों के विकास पर निम्नलिखित क्षेत्रों में बल दिया जाएगा :-

क) क्षमता निर्माण
ख) सौर ऊर्जा
ग) बायोमास/बायो ऊर्जा
घ) लघु पनबिजली

अनुच्छेद-।।।
<u>सहयोग की कार्य प्रणालियां</u>

इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत सहयोग की निम्नलिखित कार्य प्रणालियां हो सकती हैं :

क) वैज्ञानिक एवं तकनीकी कार्मिकों का आदान-प्रदान और प्रशिक्षण;

ख) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय जानकारी और आंकड़ों का आदान-प्रदान;
ग) कार्यशालाओं, संगोष्ठियों (सेमिनार) और कार्यकारी समूहों का आयोजन;
घ) उपकरणों, जानकारी और प्रौद्योगिकी का गैर-वाणिज्यिक आधार पर अंतरण;
ङ) परस्पर हित के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान अथवा तकनीकी परियोजनाओं का विकास; और
च) पक्षों के बीच परस्पर हुई सहमति से कोई अन्य प्रणालियां ।

अनुच्छेद-IV
संयुक्त कार्यकारी समूह

ऊपर वर्णित कार्यकलापों का समन्वय करने और विभिन्न नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अभिकल्पन और विकास से संबंधित परियोजना प्रस्तावों पर निर्णय लेने के उद्देश्य से दोनों पक्षों द्वारा एक "संयुक्त कार्यदल (जेडब्ल्यूजी) की स्थापना की जाएगी जिसके निम्नलिखित कार्य होंगे :-

क) नवीन और अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, प्रणालियों, उप-प्रणालियों, उपकरणों, घटकों (पुर्जों) आदि के विकास हेतु परस्पर हित के क्षेत्रों की पहचान करना;
ख) सहयोगात्मक कार्यकलापों की निगरानी और मूल्यांकन करना; और
ग) पक्षों के बीच लिखित में हुई सहमति के अनुसार कोई अन्य कार्यकलाप ।

दोनों पक्षों द्वारा उपर्युक्त कार्यकलापों के लिए संयुक्त कार्यदल में एक-एक मुख्य प्रतिनिधि को नामित किया जाएगा। संयुक्त कार्यदल द्वारा यथासंभव इलैक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से कार्य किए जाएंगे, लेकिन इसकी बैठक, जब कभी आवश्यक समझा जाए, भारत और फिजी में बारी-बारी से आयोजित की जाएगी ।

संयुक्त कार्यदल द्वारा जब कभी अनिवार्य समझा जाए, वैज्ञानिक संस्थानों, अनुसंधान केन्द्रों, विश्वविद्यालयों अथवा अन्य किसी संस्था से अन्य सदस्यों को सह-योजित किया जा सकता है ।

अनुच्छेद-V
वित्त–पोषण

प्रत्येक पक्ष द्वारा इस एमओयू के अंतर्गत विचारित अपने सभी सहयोग कार्यक्रमों और संयुक्त कार्यदल की कार्यान्वयन एजेंसियों की बैठकों में होने वाले व्यय का स्वयं वहन किया जाएगा ।

अनुच्छेद-VI
विवादों का निपटान

इस एमओयू की व्याख्या अथवा इसे लागू किए जाने से संबंधित किसी भी विवाद का निपटान दोनों पक्षों के बीच परस्पर विचार-विमर्श और/अथवा बातचीत के माध्यम से सौहार्द्रपूर्वक किया जाएगा।

अनुच्छेद-VII
संशोधन

इस समझौता ज्ञापन में संशोधन, पुनरीक्षण अथवा परिमार्जन दोनों पक्षों के बीच पत्रों के आदान-प्रदान के माध्यम से लिए गए पारस्परिक निर्णय के द्वारा किया जा सकता है ।

भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अनुच्छेद-VIII
आईएसए के अंतर्गत सहयोग

दोनों देशों के स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने तथा ऊर्जा उपलब्धता में वृद्धि लाने के समान लक्ष्यों का स्मरण करते हुए और पेरिस, फ्रांस में संपन्न जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क सम्मेलन के पक्षों के 20वें

सम्मेलन के साथ-साथ 30 नवंबर, 2015 को आरंभ किए गए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आईएसए) को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से –

फिजी और भारत, दोनों प्रौद्योगिकियों की उपलब्धता को सुगम बनाकर, वित्त–पोषण, अनुसंधान एवं विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देकर, और आईएसए को एक सशक्त अंतर-सरकारी संगठन बनाने के लिए संयुक्त प्रयास कर सौर ऊर्जा का त्वरित विकास और संस्थापना करने के आईएसए के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए साथ मिलकर कार्य करेंगे ।

अनुच्छेद-IX
प्रभावी होना, अवधि और समापन

यह एमओयू इस पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लागू होगा और पांच (5) वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा। तत्पश्चात् यह समझौता-ज्ञापन पक्षों की लिखित सहमति से नवीकृत हो जाएगा, जब तक कि दोनों में से कोई एक पक्ष इसे समाप्त करने का निर्णय नहीं लेता है। इस प्रकार के निर्णय दूसरे पक्ष को इस एमओयू के समापन की अभिप्रेत तारीख से कम से कम तीन (3) माह पहले लिखित रूप में भेजे जाएंगे। इस एमओयू के समापन से इसके अंतर्गत चल रहे किसी कार्यक्रम अथवा परियोजनाओं की वैधता और अवधि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

जिसके साक्ष्यस्वरूप, अधोहस्ताक्षरकर्त्ताओं, जिन्हें उनकी संबंधित सरकारों द्वारा एतदर्थ प्राधिकृत किया गया है, ने इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।

यह समझौता ज्ञापन कानूनी रूप से बाध्य नहीं है और पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत कोई अधिकार अथवा बाध्यता आरोपित नहीं करता है।

वर्ष 2017 के मई माह के 24 वे दिन में हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में दो (2) मूल प्रतियों में हस्ताक्षरित, सभी पाठ समान रूप से प्रामाणिक हैं। व्याख्या में किसी प्रकार की भिन्नता की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

भारत गणराज्य की सरकार की ओर से

जनरल (डा.) वी.के. सिंह (सेवानिवृत्त)
विदेश मामलों के राज्य मंत्री

फिजी गणराज्य की सरकार की ओर से

श्री अय्याज़ सयेद खैयूम
कार्यकारी प्रधान मंत्री तथा अटॉर्नी जनरल
तथा सार्वजनिक उपक्रम, सिविल सेवा और
संचार मंत्री